

अनुदान संख्या 80 - भू-संसाधन विभाग
GRANT No. 80-DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
------------------------------	--	--

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1399,44,00		
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		1399,45,00	1397,37,01
				-2,07,99
				23,01

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2501"	Major Head "2501"			
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Special Programmes for Rural Development			
मू.	O.	112600.00		
पू.	S.	1.00		
पु.	R.	8272.66		
			120873.66	120878.54
				+4.88
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	North Eastern Areas			
मू.	O.	14000.00		
पु.	R.	-14000.00		
		
				..

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	12600.00		
			18539.34	18407.34
पु.	R.	5939.34		-132.00
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments			
मू.	O.	200.00		
			37.00	37.00
पु.	R.	-163.00		. .
(I) 14335.00 लाख रु. का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 14000.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।	(I) Provision of Rs. 14335.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these Rs.14000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Other Expenditure - Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.			
(II) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - भूमि सुधार - अन्य अनुदान - राजस्व और भू-प्रशासन का आधुनिकीकरण" के अंतर्गत 163.00 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों के प्राप्त होने और साथ ही राज्यों द्वारा कम राशि के दावे किए जाने की वजह से हुई।	(II) Under Major Head "3602"- "Grants for Central Plan Schemes - Land Reforms-Other Grants - Modernisation of Revenue and Land Administration"- saving of Rs.163.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and also owing to less amount claimed by States.			
(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 82.41 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 41 प्रतिशत थी।	(III) Under one head saving of Rs.82.41 lakhs occurred constituting 41 percent of the sanctioned provision.			
2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (7920.55 लाख रु.) प्रयुक्त हो	2.(I) The above savings were partly (Rs.7920.55 lakhs) utilised for augmenting the provision by			

गई जैसा कि मुख्य शीर्ष "2501" - "बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम - एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत दिसंबर, 2005 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 7919.55 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-

(क) मुख्य शीर्ष "2501" - "बंजर भूमि विकास - अन्य व्यय - जैव-ईंधन स्कीम"- 400.00 लाख रु. का अधिक व्यय (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान"-

(क) "भूमि सुधार - अन्य अनुदान - राजस्व और भू-प्रशासन का आधुनिकीकरण"- 1586.06 लाख रु. का अधिक व्यय (12200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम"-

(i) "एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम"- 4120.34 लाख रु. का अधिक व्यय (100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और साथ ही विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ii) "प्रौद्योगिकी विकास - विस्तार और प्रशिक्षण" - 200.00 लाख रु. का अधिक व्यय (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का

re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in December, 2005 under Major Head "2501" - "Waste Land Development - National Waste Land Development Programme - Integrated Wastelands Development Programme". Actual excess, however, was Rs.7919.55 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2501"- "Waste Land Development - Other Expenditure - Bio-Fuels Scheme" - excess of Rs. 400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3601"- "Grants for Central Plan Schemes"-

(a) "Land Reforms - Other Grants - Modernisation of Revenue and Land Administration"- excess Rs.1586.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12200.00 lakhs); and

(b) "Waste Land Development - National Waste Land Development Programme" -

(i) "Integrated Wastelands Development Programme"- excess of Rs.4120.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.100.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and also on account of more proposals from various implementing agencies.

(ii) "Technology Development - Extension and Training"-excess of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to re-

पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
